24

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

कमांकःप. 20 (106) प्रसू/सूअप्र/09

जयपुर, दिनांक 28/01/2010

परिपत्र

राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारी के यहां आर.टी.आई एक्ट 05 की धारा 6 (1) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा समयावधि में सूचना उपलब्ध नही करवाई जा रही है एवं सूचना के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन कर्ताओं को अनावश्यक परेशान किया जाता हैं इस संबंध में विभिन्न प्रतिवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय/मुख्य सचिव महोदय को प्राप्त हुए है, जिसकों काफी गम्भीरता से लिया गया है। अतः आपके अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी को पाबन्द किया जावें कि उनके यहां प्रस्तुत होने वाले सूचना का अधिकार के तहत आवदेन पत्रों का समयावधि में निस्तारण करे एवं सूचना का अधिकार के तहत प्रस्तुत करने वाले आवेदको के साथ सौम्य व्यवहार किया जावें। यदि किसी आवेदक द्वारा किसी लोक सूचना अधिकासी के विरूद्व कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसको गम्भीरता से लिया जाकर उसके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास एवं विकास आयुक्त।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिवगणों को भेजकर निवेदन है कि अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश अपने स्तर से जारी करें।
6. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, ओ.टी.एस, जेएलएन मार्ग जयपुर।
7. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर को भेजकर लेख है कि इस परिपत्र को प्रदेश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने का श्रम करें।
8. समस्त शासन उप सचिवगण।
9. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी